[2018] 3 एस.सी.आर. 20

जगदीश

बनाम

मोहन और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 2217 वर्ष 2018)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

मोटर दुर्घटना: क्षतिपूर्ति - वृद्धि - स्व-नियोजित, कुशल बढ़ई मोटर दुर्घटना का शिकार हुआ - आय 4050/- रुपये और विकलांगता का आकलन 90% के रूप में किया गया - अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 12,81,228/- रुपये का पंचाट, हालांकि उच्च न्यायालय ने 2,19,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की - अपील में अभिनिर्धारित: पीड़ित का यह दावा कि उसकी कमाई 6,000 रुपये प्रति माह थी, को अनुचित या स्थिति के यथार्थवादी आकलन के विपरीत नहीं माना जा सकता है। जहां तक भविष्य की संभावनाओं के लाभ का संबंध है, स्व-नियोजित व्यक्ति होने के नाते, स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी, इस प्रकार, पीड़ित भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 2400/- रुपये की वृद्धि का हकदार है - पीड़ित को एक गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ा है जिसमें उसे अपने दोनों हाथों के उपयोग का नुकसान हुआ है - वह एक परिचारक की सहायता के बिना खाने या शौचालय की यात्रा में भाग लेने में भी असमर्थ है - विकलांगता वास्तव में पूर्ण है - इस प्रकार, पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 25,38,308/- रुपये की राशि प्रदान की गई, जो भविष्य की संभावनाओं, दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान सहित आय के नुकसान के कारण देय है। दावा याचिका दायर करने की तारीख से क्षतिपूर्ति पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ चिकित्सा व्यय।

अपीलकर्ता-स्व-नियोजित कुशल बढ़ई एक मोटर दुर्घटना का शिकार हो गया। अधिकरण ने अपीलकर्ता की मासिक आय 4,050/- रुपये के रूप में ली और विकलांगता का आकलन 90% पर किया। पीड़ित को लगी चोटों के लिए 12,81,228/- रुपये का क्षतिपूर्ति दिया गया। तथापि, उच्च न्यायालय ने दावा दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 2,19,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की। इसलिए, क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की मांग करने वाली वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने,

1.1 अपीलकर्ता का यह दावा कि उसकी कमाई 6,000/- रुपये प्रति माह थी, को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस दावे को दुर्घटना की तारीख पर स्थिति के यथार्थवादी आकलन के

अनुचित या विपरीत नहीं माना जा सकता है। जैसा कि प्रणय सेठी मामले में कहा गया है कि भविष्य की संभावनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरी है और स्व-नियोजित व्यक्तियों तक विस्तारित होगा। स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी। इसलिए, इस मामले में, अपीलकर्ता भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 2400/- रुपये की वृद्धि का हकदार होगा। [पैरा 9, 10] [27-बी-सी, डी-ई]

1.2 गणना करते समय, अदालत को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अपीलकर्ता को एक गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ा है जिसमें उसे अपने दोनों हाथों के उपयोग का नुकसान हुआ है। मैनुअल गतिविधियों में लगे व्यक्ति के लिए, यह समझने के लिए कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि हाथों का नुकसान कमाने की क्षमता का पूर्ण अभाव है। कम से कम मामले के तथ्यों में कुछ भी खोए हुए हाथों को बहाल नहीं कर सकता है। लेकिन क्षतिपूर्ति का उपाय अस्तित्व की गरिमा को बहाल करने के लिए कानून के एक वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। क्षतिपूर्ति का पैमाना इतना खराब नहीं होना चाहिए कि कोई यह सवाल करे कि क्या कानून मानव जीवन को महत्व देता है। यदि ऐसा होता है, जैसा कि यह होना चाहिए, तो इसे नुकसान के दर्द और पीड़ा के आघात के लिए एक यथार्थवादी क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का भुगतान कानून की खैरात नहीं है। अधिकारों के प्रवचन में, वे कानून के तहत हकदारी का गठन करते हैं। कानून के बारे में बातचीत को व्यक्ति की पैतृक अधीनता से मानव गरिमा के आंतरिक रूप से लागू करने योग्य अधिकारों के दावे में स्थानांतरित करना चाहिए। [पैरा 11] [27-ई-जी]

1.2 अधिकरण ने नोट किया कि अपीलकर्ता एक परिचारक की सहायता के बिना खाने या शौचालय की यात्रा करने में भी असमर्थ था। इस पृष्ठभूमि में, विकलांगता की गणना 90 प्रतिशत पर करना न्याय से इनकार होगा। विकलांगता वास्तव में पूर्ण है। अपीलकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया। इन परिस्थितियों में, भविष्य की संभावनाओं सहित आय के नुकसान के कारण अपीलकर्ता को देय क्षतिपूर्ति 18,14,400/- रुपये होगा। इस राशि के अलावा, अपीलकर्ता को दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के कारण 2 लाख रुपये की राशि और भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 3 लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए। चिकित्सा व्यय के लिए अधिकरण द्वारा दी गई राशि (98,908/- रुपये); अतिरिक्त पोषण के लिए (25,000/- रुपये) और परिचारक के खर्च (1 लाख रुपये) बनाए रखा जाता है। इस प्रकार अपीलकर्ता को दावा याचिका दायर करने की तारीख से क्षतिपूर्ति पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 25,38,308/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की जिम्मेदारी अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता, मालिक और ड्राइवर पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग तय की गई है, जिसकी पुष्टि की गई है। [पैरा 11] [28-ए-डी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी **(2017) 13 एस.सी.ए.एल.ई. 12;** *श्री लक्ष्मण @ लक्ष्मण मौर्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **(2011) 12 एस.सी.ए.एल.ई. 658;** *के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **[2012] 11 एस.सी.आर. 414: (2012) 12 एस.सी.सी. 274;** *रमेश चंद्र बनाम रणधीर सिंह* **[1990] 3 एस.सी.आर. 1: (1990) 3 एस.सी.सी. 723;** *बी कोथांडापानी बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड* **[2011] 6 एस.सी.आर. 791: (2011) 6 एस.सी.सी. 420;** *गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **(2011) 10 एस.सी.सी. 683;** *आर. डी. हट्टंगड़ी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) (प्राइवेट) लिमिटेड* **[1995] 1 एस.सी.आर. 75: (1995) 1 एस.सी.सी. 551:** *निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस. धनंका* **[2009] 9 एस.सी.आर. 313: (2009) 6 एस.सी.सी. 1;** *रेशमा कुमारी बनाम मैडम मोहन* **[2009] 11 एस.सी.आर. 305: (2009) 13 एस.सी.सी. 422;** *अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **[2010] 11 एस.सी.आर. 857: (2010) 10 एस.सी.सी. 254;** *राज कुमार बनाम अजय कुमार* **[2010] 13 एस.सी.आर. 179: (2011) 1 एस.सी.सी. 343;** *सुबुलक्ष्मी बनाम एमडी तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम* **[2012] 9 एस.सी.आर. 962 - संदर्भित।**

<u>केस लॉ रेफरेंस</u>

(2017) 13 एस.सी.ए.एल.ई. 12	**पैरा 7 को संदर्भित किया गया।**
(2011) 12 एस.सी.ए.एल.ई. 658	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2012] 11 एस.सी.आर. 414	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[1990] 3 एस.सी.आर. 1	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2011] 6 एस.सी.आर. 791	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
(2011) 10 एस.सी.सी. 683	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[1995] 1 एस.सी.आर. 75	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2009] 9 एस.सी.आर. 313	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2009] 11 एस.सी.आर. 305	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2010] 11 एस.सी.आर. 857	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2010] 13 एस.सी.आर. 179	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**
[2012] 9 एस.सी.आर. 962	**पैरा 8 को संदर्भित किया गया।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2217 वर्ष 2018 में।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 3050 वर्ष 2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.12.2016 से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता अनुज भंडारी, यशोधर पांडे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता सत्यजीत कुमार।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** द्वारा दिया गया,

1. अपीलकर्ता एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गया था। अधिकरण ने उन्हें लगी चोटों के लिए 12,81,228/- रुपये का क्षतिपूर्ति दिया। उच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के आदेश में 2,19,000/- रुपये की राशि बढ़ा दी। दावा दाखिल करने की तारीख से प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया गया है। अपीलकर्ता क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करता है।

2. अपीलकर्ता की उम्र 24 साल थी जब 24 नवंबर 2011 को दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना शाम 4 बजे हुई जब अपीलकर्ता और एक अन्य व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर सवार थे। अपीलकर्ता, जो मध्यम गति से मोटर साइकिल चला रहा था, ने एक डंपर को संकेत दिया जो उसे गुजरने की अनुमति देने के लिए उसके आगे था। जब अपीलकर्ता वाहन को पास कर रहा था, तो यह चालक की तरफ से टकरा गया और अपीलकर्ता की मोटर साइकिल से टकरा गया। दुर्घटना के दौरान अपीलकर्ता घायल हो गया था।

3. चोटों की प्रकृति मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण संख्या 2, कोटा के फैसले से निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है।

> "दावेदार द्वारा प्राप्त चोटों के कारण दावेदार के लिए वह 90% स्थायी विकलांगता का सामना कर चुका है ...
>
> दावेदार मामले में सबूत देने आया था...
>
> दावेदार के दोनों हाथों को देखते हुए यह नोट किया गया कि ...
>
> हाथ किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। यह भी किया गया है दावेदार की ओर से प्रस्तुत किया गया कि दावेदार स्वयं भोजन करने या शौचालय जाने में असमर्थ है, जिसके लिए उसे किसी और की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि उसके दोनों हाथ किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हैं जैसा कि प्रदर्श 168 में कहा गया है । ऐसी स्थिति में यदि श्रमिक वर्ग का कोई व्यक्ति किसी ऐसी चोट से ग्रस्त हो जाता है जिसके कारण उसके दोनों हाथों का 90% भाग कोई कार्य करने में असमर्थ होता है तो ऐसी स्थिति में दावेदार को वही कठिनाई होगी जो उसके शरीर की स्थायी विकलांगता होगी। इसलिए प्रदर्शनी 168 पर भरोसा करते हुए मैं मानता हूं कि दावेदार की कमाई क्षमता का 90% नुकसान हुआ है। ".

4. अधिकरण ने पाया कि डंपर के चालक की ओर से लापरवाही हुई थी और अपीलकर्ता को उसके द्वारा लगी चोटों के लिए क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए।

5. क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करते समय, अधिकरण ने नोट किया कि अपीलकर्ता एक बढ़ई था और उसने दावा किया था कि उसे प्रति माह 6,000/- रुपये की आय प्राप्त हो रही थी। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, अधिकरण ने अपीलकर्ता की मासिक आय 4,050/- रुपये ली। अपीलकर्ता को 90 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित पाया गया है, भविष्य की मासिक आय के नुकसान की गणना 3645/- रुपये पर की गई थी। अधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया और माना कि अपीलकर्ता 7,87,320/- रुपये (रुपये 3645 x 12 x 18) की भविष्य की आय के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार था। अधिकरण ने मानसिक और शारीरिक कठिनाई और पीड़ा के लिए 1.80 लाख रुपये, आराम के नुकसान के लिए 90,000/- रुपये, खर्चों के लिए 25,000/- रुपये और चिकित्सा व्यय के लिए 95,908/- रुपये की राशि का आदेश दिया। अटेंडेंट शुल्क के लिए 1 लाख रुपये का पंचाट दिया गया था। अधिकरण ने क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 12,81,228/- रुपये की राशि प्रदान की, जिस पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई थी। भविष्य में इलाज के खर्च के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी।

6. अपील में, उच्च न्यायालय ने 2,19,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि बढ़ी हुई राशि 8 सप्ताह के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो इस पर प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

7. अपीलकर्ता ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग की है:

(i) अधिकरण को भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए कोई राशि नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दी जानी चाहिए। अपीलकर्ता का कहना है कि **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी**[1] मामले में संविधान पीठ के हालिया फैसले के मद्देनजर, वह भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, भले ही वह स्व-नियोजित हो;

(ii) अपीलकर्ता के अनुसार, चोटों की प्रकृति, जिसके परिणामस्वरूप दोनों हाथों की कार्यक्षमता का पूर्ण नुकसान होता है, की गणना 100 प्रतिशत की विकलांगता के आधार पर की जानी चाहिए, न कि 90 प्रतिशत; और

(iii) 6,000/- रुपये प्रति माह के दावे के अनुसार आय गणना का आधार होनी चाहिए न कि 4,050/- रुपये जैसा कि अधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

8. देय क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक पीड़ित जो दुर्घटना के कारण स्थायी या अस्थायी विकलांगता से पीड़ित है, वह

---

[1] (2017) 13 एस.सी.ए.एल.ई. 12

क्षतिपूर्ति के पुरस्कार का हकदार है। क्षतिपूर्ति के पुरस्कार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

(i) दुर्घटना के कारण होने वाली पीड़ा, कष्ट और आघात;

(ii) भावी आय सहित आय की हानि;

(iii) पीड़ित की सामान्य जीवन जीने में असमर्थता इसकी सुविधाएं;

(iv) चिकित्सा व्यय, जिसमें वे व्यय भी शामिल हैं जो पीड़ित के भविष्य की आवश्यकता; और

(v) जीवन की अपेक्षाओं की हानि।

श्री लक्ष्मण @ लक्ष्मण मौर्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[2] के मामले में, इस अदालत ने कहा:

> "उपरोक्त निर्णयों का अनुपात यह है कि यदि दुर्घटना का शिकार स्थायी या अस्थायी विकलांगता से पीड़ित होता है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि दुर्घटना, कमाई की हानि और पीड़ित की सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के कारण होने वाले दर्द, पीड़ा और आघात के लिए भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिसका वह आनंद लेता लेकिन दुर्घटना के कारण हुई विकलांगता के लिए।"

के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[3] मामले में इस अदालत ने **रमेश चंद्र बनाम रणधीर सिंह**[4] और **बी. कोथांडापानी बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड**[5] के पिछले फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि विकलांगता के साथ-साथ भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है क्योंकि पहला सिर किसी व्यक्ति की क्षमता की हानि से संबंधित है, जबकि दूसरा व्यक्ति द्वारा दर्द और पीड़ा के क्षेत्र और जीवन के आनंद के नुकसान से संबंधित है।

गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[6] मामले में इस अदालत ने **आरडी हट्टंगड़ी बनाम कीट नियंत्रण (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड**[7], **निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस धनंका**[8], **रेशमा कुमारी बनाम मडम मोहन**[9], **अरविंद कुमार**

---

[2] 22011 (12) एस.सी.ए.एल.ई. 658

[3] (2012) 12 एस.सी.सी. 274

[4] (1990) 3 एस.सी.सी. 723

[5] (2011) 6 एस.सी.सी. 420

[6] (2011) 10 एस.सी.सी. 683

[7] (1995) 1 एस.सी.सी. 551

[8] (2009) 6 एस.सी.सी. 1

[9] (2009) 13 एस.सी.सी. 422

मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[10] और **राज कुमार बनाम अजय कुमार**[11] मामले में पहले के फैसलों का हवाला दिया। और इस प्रकार आयोजित किया गया:

> "18. हमारे विचार में, अरविंद कुमार मिश्रा में निर्धारित सिद्धांत बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राज कुमार बनाम अजय कुमार का सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा दुर्घटना के पीड़ितों को देय क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए, जो स्थायी या अस्थायी रूप से अक्षम हैं। यदि दुर्घटना का शिकार व्यक्ति स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि कमाई के नुकसान और सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असमर्थता के लिए भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिसका वह आनंद लेता, लेकिन दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता के लिए।" (उक्त पृष्ठ 693 पर)

इन सिद्धांतों को **सुबुलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम**[12] के प्रबंध निदेशक के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में दोहराया गया था, जिसे हममें से एक न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने दिया था।

9. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिए अपीलकर्ता के मामले का आकलन करना अब उचित होगा। दुर्घटना 24 नवंबर 2011 को हुई थी। अपीलकर्ता एक कुशल बढ़ई और स्व-नियोजित था। अपीलकर्ता का यह दावा कि उसकी कमाई 6,000/- रुपये प्रति माह थी, को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस दावे को दुर्घटना की तारीख पर स्थिति के यथार्थवादी आकलन के अनुचित या विपरीत नहीं माना जा सकता है।

10. **प्रणय सेठी** (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के फैसले में, इस न्यायालय ने कहा है कि भविष्य की संभावनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरी है और स्व-नियोजित व्यक्तियों तक विस्तारित होगा। स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी। इसलिए, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 2400/- रुपये की वृद्धि का हकदार होगा।

11. वर्तमान मामले में गणना करते समय, अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अपीलकर्ता को एक गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ा है जिसमें उसे अपने दोनों हाथों के उपयोग का नुकसान हुआ है। मैनुअल गतिविधियों में लगे व्यक्ति के लिए, यह समझने के लिए कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि हाथों का नुकसान कमाने की क्षमता का पूर्ण अभाव है। कुछ भी नहीं - कम से कम इस मामले के तथ्यों में - खोए हुए हाथों को बहाल नहीं कर सकता है। लेकिन क्षतिपूर्ति का उपाय अस्तित्व की गरिमा को बहाल करने के लिए

---

[10] (2010) 10 एस.सी.सी. 254

[11] (2011) 1 एस.सी.सी. 343

[12] सिविल अपील संख्या 7750 वर्ष 2012, निर्णीत दिनांक 1 नवंबर 2012

कानून के एक वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। क्षतिपूर्ति के हमारे मानदंड इतने खराब नहीं होने चाहिए कि कोई यह सवाल करे कि क्या हमारा कानून मानव जीवन को महत्व देता है। यदि ऐसा होता है, जैसा कि यह होना चाहिए, तो इसे नुकसान के दर्द और पीड़ा के आघात के लिए एक यथार्थवादी क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का भुगतान कानून की खैरात नहीं है। अधिकारों के प्रवचन में, वे कानून के तहत हकदारी का गठन करते हैं। कानून के बारे में हमारी बातचीत को व्यक्ति की पैतृक अधीनता से मानव गरिमा के आंतरिक रूप से लागू करने योग्य अधिकारों के दावे में बदलना चाहिए।

अधिकरण ने नोट किया है कि अपीलकर्ता एक परिचारक की सहायता के बिना खाने या शौचालय का दौरा करने में भी असमर्थ है। इस पृष्ठभूमि में, विकलांगता की गणना 90 प्रतिशत पर करना न्याय से इनकार होगा। विकलांगता वास्तव में कुल है। अपीलकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया। इन परिस्थितियों में, भविष्य की संभावनाओं सहित आय के नुकसान के कारण अपीलकर्ता को देय क्षतिपूर्ति 18,14,400/- रुपये होगा। इस राशि के अलावा, अपीलकर्ता को दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के कारण 2 लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए। चिकित्सा व्यय के लिए अधिकरण द्वारा दी गई राशि (98,908/- रुपये); अतिरिक्त पोषण के लिए (25,000/- रुपये) और परिचारक के व्यय (1 लाख रुपये) का रख-रखाव किया जाता है। अधिकरण ने भविष्य के उपचार के लिए कोई राशि देने से इनकार कर दिया है। अपीलकर्ता को भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 3 लाख रुपये की राशि की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 25,38,308/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अपीलकर्ता दावा याचिका दायर करने की तारीख से क्षतिपूर्ति पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की जिम्मेदारी अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता, मालिक और ड्राइवर पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग तय की गई है, जिसकी पुष्टि की गई है। यह राशि आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकरण के समक्ष जमा की जाएगी और उचित पहचान पर अपीलकर्ता को भुगतान किया जाएगा।

12. तदनुसार अपील स्वीकृत की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय